उत्तरांचल परिवहन निगम मुख्यालय

देहरादून ।

पत्रांक 548/एचक्यू/ओपी–अपलेखन/2004 दिनांक 03जौलाई2004

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तरांचल परिवहन निगम
देहरादून/नैनीताल/टनकपुर ।

विषयः– **निदेशक मण्डल की चतुर्थ बैठक दिनाक 17.05.2004 के संकल्प संख्या–11 दुंर्धटना होने की दशा में दुर्धटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिया जाना ।**

उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5731प/तीस–3–30क्यू/75 दिनांक 3 नवम्बर 1976 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यात्री बीमा योजना लागू की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में चलने वाली सभी यात्री बसों, जिनसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत यात्रीकर की वसूली की जाती है,में यात्रा करने वाले यात्रियों की दुर्धटना होने की दशा में मृत्यु या घायल हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है ।

उपरोक्त योजना के अनुसार उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा अभी तक दुर्धटनाग्रस्त यात्रियों को या उनके आश्रितों को निम्न प्रकार आर्थिक सहायता दी जा रही है–

1. मृतक यात्री के आश्रित को :– रूपये 2000.00
2. गम्भीर रूप से घायल यात्री के आश्रित को :– रूपये 500.00
3. साधारण चोटिल व्यक्ति को :– रूपये 250.00

उपरोक्त सहायता दुर्धटनाग्रस्त यात्रियों को तत्काल प्रदान कर दी जाती है जिसका समायोजन क्लेम केस दायर करने पर समायोजित किया जाता है । निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 17.05.2004 की बैठक में उपरोक्त राशि को काफी कम मानते हुये निम्न संशोधन को अनुमोदित किया हैः–

1. मृतक व्यक्ति/यात्री के आश्रित को :– रूपये 10,000.00
2. गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति के आश्रित कोः– रूपये 5,000.00
3. साधारण चोटिल व्यक्ति को :– रूपये 1,000.00

अतः आप दुर्धटनाग्रस्त यात्रियों को उपरोक्तानुसार सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा यदि किसी यात्री अथवा उसके किसी आश्रित द्वारा दुर्धटना क्लेम केस दायर किया जाता है तो इसकी प्रतिपूर्ति क्लेम केस के मद में भुगतान की जानी वाली धनराशि से समायोजित कर लिया जाय ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

Rk Dodiya

(आर0के0डोडिया)
महाप्रबन्धक(संचालन)

... नहीं था।
1,42,81,246.00